भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या4(6)-डब्ल्यूएंडएम/2019:भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक, की बिक्री (**पुनर्निर्गम**)अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
6.18% सरकारी प्रतिभूति 2024	04 नवम्बर, 2019	05-00-00	04 नवम्बर, 2024	मूल्य	विविध	4,000
7.57% सरकारी प्रतिभूति 2033	20 मई, 2019	14-00-27	17 जून, 2033	मूल्य	विविध	6,000
7.69% सरकारी प्रतिभूति 2043	30 अप्रैल, 2019	24-01-17	17 जून, 2043	मूल्य	विविध	2,000
7.72% सरकारी प्रतिभूति 2049	15 अप्रैल, 2019	30-02-00	15 जून, 2049	मूल्य	विविध	4,000

कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार, उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। इस प्रतिभूति की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **15 नवम्बर, 2019** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **15 नवम्बर, 2019** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में **15 नवम्बर, 2019,** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **18 नवम्बर, 2019** अर्थात् **पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	**कूपन दर (%)**	**अंतिम कूपन भुगतान की तारीख**	**किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है**	**कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)**
6.18% सरकारी प्रतिभूति 2024	6.18	नया स्टॉक	17 नवम्बर, 2019	04 मई और 04 नवम्बर
7.57% सरकारी प्रतिभूति 2033	7.57	17 जून, 2019	17 नवम्बर, 2019	17 दिसंबर और 17 जून
7.69% सरकारी प्रतिभूति 2043	7.69	17 जून, 2019	17 नवम्बर, 2019	17 दिसंबर और 17 जून
7.72% सरकारी प्रतिभूति 2049	7.72	15 जून, 2019	17 नवम्बर, 2019	15 दिसंबर और 15 जून

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

11/11/19

(रजत कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार